

197

73

निगं ० २४५१/२०१८/ शीवा/ भू-२०

न्यायालय श्रीमान् सद्रथ महोदय म०प्र० राजस्व मंडल सर्वि कोर्ट रीवा म०प्र०।



1- उमेश कुमार मिश्रा तनय सुभाषा प्रसाद मिश्रा निवा सी ग्राम वौरा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

अधि० श्री रमेश
सिद्धीका डाटा चेस
०९-५-१८

----- निगरानी कर्ता/रेस्पाडेन्ट ।

बनाम
कलम अफ कोर्ट
रजिस्ट्रार कोर्ट रीवा

- 1- श्रीनिवास तिवारी तनय स्व० रामावतार तिवारी
- 2- सुतिकोर्ति तिवारी तनय स्व० रामावतार तिवारी
- 3- राजबहादुर तिवारी तनय स्व० रामावतार तिवारी
- 4- श्रीमती मनगिरिया मिश्रा पत्नी रामानन्द मिश्रा

----- सभी निवासी ग्राम सोनौरी तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०।

5- शासन म०प्र० ----- गैर निगरानी कर्ता गण/अपी०गण ।

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 26-04-18
अपीत प्र०प्र० 12/अ66/अपीत/2017-18 श्रीनिवास
तिवारी वगै० बनाम उमेश कुमार मिश्रा न्यायालय
श्रीमान अग्र क्लेक्टर जिला रीवा म०प्र० ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता
1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- यद्यकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारित आदेश दि० 26-04-18 विधि एवं विधान के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है कबिल - निरस्तगी के है ।।

2- यद्यकि निगरानी कर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र० के न्यायालय में आराजी नं० 37/1 रक्वा - 0-380 हे० का अंश रक्वा 0-040 हे० एवं आ 0नं० 37/2 रक्वा 0-385 हे० का अंश रक्वा 0-020 हे० अर्थात 0-15 ए० भूमि स्थित ग्राम वौरा तहसील हुजूर

जिला रीवा म०प्र० का भूमिस्वामी घोषित किए जाने हेतु म०प्र० वास स्थान -

उमेश प्रसाद मिश्रा प्र० -----

Handwritten signature and date 25/5/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक ~~क्रमांक~~ 2841-2018 जिला-रीवा

उमेश कुमार मिश्रा विरुद्ध श्री निवास तिवारी

(1)	(2)	(3)
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री ए.म.ए. मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 12/3466/30.09.17 पारित आदेश दिनांक 26.4.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28.3.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	